

अनुदान संख्या 41 - राजस्व विभाग
GRANT No. 41-DEPARTMENT OF REVENUE

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	2,00	. .	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,00
स्वीकृत-	Voted-	398,13,00	329,40,36	-68,72,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			62,29,74
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	13,59,00	56,59,00	48,28,66
पूरक	Supplementary	43,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,93,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, 2.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2052" - "Secretariat -General Services" and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

	शीर्ष Head			
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services			
मू.	O.	5382.00	3899.84	3769.17
पु.	R.	-1482.16		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services			
मू.	O.	2840.00		
पु.	R.	-248.11		
		2591.89	2494.40	-97.49
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	1906.00		
पु.	R.	-151.47		
		1754.53	1678.33	-76.20
मुख्य शीर्ष "2875"	Major Head "2875"			
अन्य उद्योग	Other Industries			
मू.	O.	26050.00		
पु.	R.	-4291.00		
		21759.00	21431.98	-327.02

(I) 129.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.129.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - राजस्व विभाग" के अंतर्गत 1611.84 लाख रु. की बचत (5370.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्य वर्धित कर को लागू किए जाने में विलंब होने, रिक्त पदों के न भरे जाने, संपदा निदेशालय द्वारा वहन किए जाने वाला लोकनायक भवन का किराया प्रभारित किए जाने, अधिवक्ताओं से कम बिल प्राप्त होने और सादगी एवं किफायती उपायों को अपनाए जाने के कारण भी हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Revenue"- saving of Rs.1611.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5370.00 lakhs) was due to delay in implementation of Value Added Tax, non filling up of vacant posts, rent charge of Lok Nayak Bhawan borne by Directorate of Estates, less bills received from advocates and also due to austerity and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2047" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under the Major Head "2047"- savings occurred under the following heads:-

(का) "विदेशी मुद्रा का विनियमन - प्रवर्तन निदेशालय"- 199.34 लाख रु. की बचत (1828.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate"- saving of Rs.199.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1828.70 lakhs); and

(खा) "सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण - अपीलीय अधिकरण"- 102.20 लाख रु. की बचत (704.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती/सादगी उपायों के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" - "स्वापक नियंत्रण - केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो" के अंतर्गत 100.05 लाख रु. की बचत (1753.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2875" - "अफीम तथा एल्केलायड उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "गाजीपुर अफीम फैक्टरी"-

(क) "प्रबंधन"- 106.15 लाख रु. की बचत (1035.05 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य अफीम अभिकरणों के व्यय के आबंटन के संबंध में कम प्रावधान किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अफीम की खरीद"- 408.70 लाख रु. की बचत (4526.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोस्त उत्पादकों से अफीम की कम मात्रा प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय"- 108.59 लाख रु. की बचत (281.94 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम मात्रा में निर्यात किए जाने, कम उपकरण/पत्तन प्रभार वहन किए जाने और निधियों के कम आहरण की वजह से पूंजी पर कम ब्याज अदा किए जाने के कारण हुई।

(खा) "नीमच अफीम फैक्टरी"-

(क) "प्रबंधन"- 369.35 लाख रु. की बचत (1052.82 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य अफीम अभिकरणों के व्यय के आबंटन के संबंध में कम प्रावधान किए जाने तथा प्रशासन के साझा लागत के प्रति केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा कम व्यय का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(B) "Customs, Central Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal - Appellate Tribunal"- saving of Rs.102.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.704.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy/austerity measures.

(IV) Under Major Head "2070"- "Narcotics Control-Central Bureau of Narcotics"-saving of Rs.100.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1753.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(V) Under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Ghazipur Opium Factory"-

(a) "Management"- saving of Rs.106.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1035.05 lakhs) was due to less provision made in regard to apportionment of expenditure of other opium agencies.

(b) "Purchase of Opium"- saving of Rs.408.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4526.75 lakhs) was due to less quantity of opium received from poppy cultivators.

(c) "Other Expenditure" - saving of Rs.108.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.281.94 lakhs) was due to low volume of export, less cess/port charges incurred and lower interest paid on capital owing to less withdrawal of funds.

(B) "Neemuch Opium Factory" -

(a) "Management" - saving of Rs.369.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1052.82 lakhs) was due to less provision made in regard to apportionment of expenditure of other opium agencies and transfer of less expenditure by Central Bureau of Narcotics towards share cost of administration.

- (ख) “अफीम की खरीद”- 2322.99 लाख रु. की बचत (10412.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की कम मात्रा में अधिप्राप्ति किए जाने तथा उत्पादकों को फसल वर्ष 2003-04 के लिए अदायगी प्रचालनों को पूरा न किए जाने से कम अदायगी जारी किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “अन्य व्यय”- 198.95 लाख रु. की बचत (1004.94 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम आयातों/बिक्री की उच्च मात्रा के कारण अधिक राजस्व वसूल किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “गाजीपुर एल्केलायड कारखाना - प्रबंधन”- 304.46 लाख रु. की बचत (2368.17 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (घा) “नीमच एल्केलायड कारखाना”-
- (क) “प्रबंधन”- 347.93 लाख रु. की बचत (2646.98 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोडीन फॉस्फेट की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आने और अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हुई।
- (ख) “अन्य व्यय”- 476.75 लाख रु. की बचत (1720.98 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो माह के लिए संयंत्र के बंद होने से अफीम की कम मात्रा के प्रभारित किए जाने के कारण हुई।
3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (830.34 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 4300.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।
- (b) “Purchase of Opium” – saving of Rs.2322.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10412.25 lakhs) was due to lower volume of procurement of Opium and release of less payment to cultivators as the payment operations for the crop year 2003-04 were not completed.
- (c) “Other Expenditure” - saving of Rs.198.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1004.94 lakhs) was due to more revenue realised on account of higher volume of opium exports/sales.
- (C) “Ghazipur Alkaloid Works - Management” – saving of Rs.304.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2368.17 lakhs); and
- (D) “Neemuch Alkaloid Works”-
- (a) “Management”- saving of Rs.347.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2646.98 lakhs).
- Savings under the above two heads were due to fall in the international price of Codeine Phosphate and appreciation in rupee value against US \$.
- (b) “Other Expenditure” - saving of Rs.476.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1720.98 lakhs) was due to charging of less quantity of opium on account of shutdown of plant for two months.
3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.830.34 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grant of Rs.4300.00 lakhs obtained in December, 2003 and 15 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"			
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	500.00	100.00	8.05
पु.	R.	-400.00		
मुख्य शीर्ष "4875"	Major Head "4875"			
अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Industries			
मू.	O.	859.00	766.00	520.63
पु.	R.	-93.00		
(I) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन-प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारियों के लिए रिहायशी भवन-तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 491.95 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुजरात आवास बोर्ड से अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों के लिए तैयार निर्मित फ्लैटों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।	(I) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Officials of Enforcement Directorate - Acquisition of ready-built flats"- saving of Rs.491.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of ready-built flats for the employees of Directorate of Enforcement at Ahmedabad from Gujarat Housing Board.			
(II) मुख्य शीर्ष "4875" - "अफीम तथा एल्केलायड उद्योग - नीमच एल्केलायड कारखाना - संयंत्र तथा मशीनरी" के अंतर्गत 164.37 लाख रु. की बचत (363.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्य योजना/आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित विभिन्न उपस्करों के संस्थापन, निर्माण, परीक्षण तथा उन्हें चलाने में विलंब होने और साथ ही प्रक्रियात्मक कमियों के कारण आपूर्तियों के दावों के निपटान में विलंब होने के कारण हुई।	(II) Under Major Head "4875"- "Opium and Alkaloid Industries- Neemuch Alkaloid Works - Plant and Machinery" - saving of Rs.164.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.363.50 lakhs) was due to delay in installation, erection, testing and commissioning of various equipments required for ongoing action plan/modernisation and also due to delay in settlement of claims of suppliers on account of procedural shortcomings.			
(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 178.03 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक थी।	(III) Under three heads savings of Rs.178.03 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 27 percent to 89 percent of the sanctioned provision.			

5. मूल्य ऱस आरक्षित निधि - अफीम तथा एल्केलायड फैक्टरियां:-

ये निधियां 1970-71 में एल्केलायड फैक्टरियों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्य ऱस लगाने की वाणिज्यिक पद्धति को प्रवर्तित करने के लिए गठित की गई थी। वर्ष के दौरान प्रत्येक फैक्टरी की परिसम्पत्तियों के मूल्य पर परिकलित किया गया मूल्य ऱस इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा क्रेडिट किया जाता है। निधि के शेषों पर समय-समय पर लगाया गया ब्याज भी इन निधियों में इस अनुदान में प्रतिपक्षी नामे द्वारा क्रेडिट किया जाता है।

वर्ष 2003-04 के लिए मूल्य ऱस आरक्षित निधियों का लेखा निम्न प्रकार से था:-

5. Depreciation Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories:-

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

Accounts of Depreciation Reserve Fund for 2003-2004 were as under:-

		गाजीपुर Ghazipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलायड कारखाना Alkaloid Works
अथशेष	Opening Balance	3,14,18	1,93,01	1,84,08	6,95,19
प्राप्तियां	Receipts	8,07	2,16	13,00	30,00
जमा किया गया ब्याज	Interest credited	10,37	4,45	9,85	34,50
अदायगियां	Payments
अंतशेष	Closing Balance	3,32,62	1,99,62	2,06,93	7,59,69

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)